रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72
REGISTERED No. D. (D.N.)-72

18/9/85

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 331] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 1985/श्रावण 4, 1907
No. 331] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1985/SRAVANA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1985

अधिसूचनाएं

सा. का. नि. 609(अ) :—केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 5 की उपधारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि:—

(i) दिल्ली वह स्थान होगा जहां केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ साधारणत: बैठा करेगी ; तथा

(ii) इलाहाबाद, बंगलोर, बम्बई, कलकत्ता, गोहाटी, मद्रास तथा नागपुर वे स्थान होंगे जहां केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अतिरिक्त न्यायपीठें साधारणत: बैठा करेंगी ।

[सं. ए-11019/31(i)/85-ए.टी.]

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 26th July, 1985.

NOTIFICATIONS

G.S.R. 609(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies:—

(i) Delhi as the place at which the Principal Bench of the Central Administrative Tribunal shall ordinarily sit; and

(ii) Allahabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Gauhati, Madras and Nagpur as the places at which the additional Benches of the Central Administrative Tribunal shall ordinarily sit.

[No. A-11019/31(i)/85-AT]

सा. का. नि. 610(अ).—जबकि, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ तथा अतिरिक्त न्यायपीठें अब गठित की जा चुकी है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न सारणी के कालम (2) में निर्दिष्ट प्रधान न्यायपीठ तथा अतिरिक्त न्यायपीठें उक्त सारणी के कालम (3) में प्रधान न्यायपीठ तथा प्रत्येक अतिरिक्त न्यायपीठों के सामने निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले सभी मामलों पर कार्रवाई करेगी ;

परन्तु यह कि इस अधिसूचना में दी गई कोई बात प्रधान न्यायपीठ को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (क्रियाविधि) के नियम 6 के अधीन, आवेदनपत्रों को स्वीकार करने से वंचित नहीं करेगी ।

सारणी

क्र. संख्या	न्यायपीठ जहां पर स्थित है	न्यायपीठ का क्षेत्राधिकार
1	2	3
1.	दिल्ली (प्रधान न्यायपीठ)	जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य तथा चण्डीगढ़ तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र ।
2.	इलाहाबाद (अतिरिक्त न्यायपीठ)	बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य ।
3.	बंगलोर (अतिरिक्त न्यायपीठ)	आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक ।
4.	बम्बई (अतिरिक्त न्यायपीठ)	गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य (नागपुर न्यायपीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर) और दादर तथा नगर हवेली और गोवा, दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र ।
5.	कलकत्ता (अतिरिक्त न्यायपीठ)	उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल राज्य तथा अण्डमान निकोबार द्वीप संघ शासित क्षेत्र ।
6.	गोहाटी (अतिरिक्त न्यायपीठ)	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा राज्य तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ शासित क्षेत्र : ।
7.	मद्रास (अतिरिक्त न्यायपीठ)	केरल तथा तमिलनाडु राज्य तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ।
8.	नागपुर (अतिरिक्त न्यायपीठ)	मध्य प्रदेश राज्य तथा महाराष्ट्र राज्य के न्यायिक जिले, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलडाणा, चन्दा, नागपुर, वर्धा, यवतमाल और गडचिरोली ।

[सं. ए-11019/31/(2)/85-ए.टी.]

आर. महादेवन, अवर सचिव

G.S.R. 610(E).—Whereas the Principal bench and the additional benches of the Central Administrative Tribunal have since been constituted;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby directs that the Principal bench and the additional benches specified in column (2) of the Table hereto annexed shall deal with all matters falling within the purview of the Central Administrative Tribunal within the territories specified against the Principal bench and each of the additional benches in column (3) of the said Table;

Provided that nothing contained in this notification shall debar the Principal bench to entertain applications under rule 6 of the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1985.

TABLE

Sl. No.	Bench situated at	Jurisdiction of the Bench
1	2	3
1.	Delhi (Principal Bench)	States of Jammu and Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan and the Union Territories of Chandigarh and Delhi.
2.	Allahabad (Additional Bench)	States of Bihar and Uttar Pradesh.
3.	Bangalore (Additional Bench)	States of Andhra Pradesh and Karnataka.
4.	Bombay (Additional Bench)	States of Gujarat and Maharashtra (excluding areas falling within the jurisdiction of Nagpur Bench) and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu.
5.	Calcutta (Additional Bench)	States of Orissa, Sikkim and West Bengal and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
6.	Gauhati (Additional Bench)	States of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura and Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram.
7.	Madras (Additional Bench)	States of Kerala and Tamilnadu and Union Territories of Lakshadweep and Pondicherry.
8.	Nagpur (Additional Bench)	States of Madhya Pradesh and Judicial Districts of Akola, Amravati, Bhandara, Buldana, Chanda, Nagpur, Wardha, Yeotmal and Gadchiroli of the State of Maharashtra.

[No. A-11019/31/(2)/85-ATJ]

R. MAHADEVAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985